

विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर

प्रश्न

1(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में शिक्षामित्रों एवं सहायक अध्यापकों द्वारा एक समान कार्य किया जाता है?

(ख) यदि हाँ, तो क्या एक समान कार्य का एक समान वेतन न मिल पाने के कारण शिक्षामित्रों में आक्रोश व्याप्त है?

(ग) यदि हाँ, तो क्या शिक्षामित्रों को समान कार्य का समान वेतन दिलाये जाने की कोई कार्ययोजना बनवाते हुए उन्हें समान कार्य का समान वेतन दिलायेंगे?

(घ) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?

उत्तर

जी नहीं।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मौलिक पद के प्रति की जाती है जबकि शिक्षामित्रों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा के आधार पर 11 माह के लिए की जाती है। दोनों की नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न हैं। अतः नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न होने के कारण कार्य भी अलग-अलग है।
जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षामित्रों की सेवाएँ संविदा के आधार पर ली जा रही हैं जबकि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मौलिक पदों के प्रति स्थायी होती है। चूंकि शिक्षामित्रों एवं सहायक अध्यापकों के सेवाओं की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न होती हैं, इसीलिए शिक्षामित्रों को अन्य सहायक अध्यापकों से तुलना करना औचित्यपूर्ण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**संदीप सिंह
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।**